दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 2128/2022 **राज्य विरूद्ध राजकुमार चेलक**

Witness No.....**04**.....for.....**अभियोजन साक्षी**.....Deposition taken the.....**29.07.2024**.....day of.....**सोमवार**.....Witness's apparent age.....**50 वर्ष**..... States on affirmation.....**शपथपूर्वक**.....may name is.....**श्री अजीत टोप्पो**..... son of.....**स्व. श्री पीयुष टोप्पो** .....Occupation.....**प्रधान आरक्षक (501)**..... address.....**थाना डोंगरगढ , जिला राजनांदगांव (छ.ग.)**.....

.....

समय 01:34 से

मुख्य परीक्षण द्वारा ए.डी.पी.ओ श्री निखिल सुषमाकर

01. मैं दिनांक 29.10.2022 में थाना डोंगरगढ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था । उक्त दिनांक को हमराह स्टॉफ आरक्षक क्रमांक 985 एवं 171 के साथ में जुर्म जरायम पता साजी हेतु देहात रवाना हुआ था कि मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि राजकुमार चेलक नाम व्यक्ति कलकसा के यात्री प्रतिक्षालय के सामने अवैध रूप से शराब बिक्री करने हेतु ग्राहक तलाश कर रहा है। उक्त सुचना के आधार पर प्रभारी महोदय को अवगत करा कर हमरॉह स्टॉफ के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। गवाह विनय मिश्रा एवं सिद्धार्थ फुले उर्फ चिन्टू को मुखबीर सूचना से अवगत करा कर एवं उन्हें कार्यवाही में गवाह के रूप में सम्मिलित होने के धारा 160 द.प्र.सं का नोटिस दिया था जो प्र.पी. 02 है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मुखबीर सूचना प्र.पी. 01 है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

02. मैंने हमरॉह स्टॉफ मय गवहान को मौका स्थल पर पहुंचकर आरोपी के कब्जे से एक थैले में रखा हुआ 04 बोटल गोल्डन गोवा अंग्रेजी एवं शराब बिक्री रकम 150/– रूपये को बरामद किया गया था । बरामदी पंचनाम प्र.पी. 03 है, जिसके स से स भाग पर मेरे एवं द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। मैंने आरोपी को बरामदशुदा शराब के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु धारा 91 द.प्र.सं का नोटिस दिया था जो प्र.पी. 10 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे तथा स से स भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है आरोपी ने मेर पास शराब बिक्री करने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है लिखकर ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर किया। मैंने गवाहो विनय मिश्रा एवं सिद्धार्थ फुले उर्फ चिन्टू के समक्ष आरोपी के कब्जे से एक थैले में रखा हुआ 04 बोटल गोल्डन गोवा अंग्रेजी शराब एवं शराब बिक्री रकम 150/– रूपये को गवाहो के समक्ष जप्ती पत्रक प्र.पी. 04 के मुताबिक जप्त किया था, जिसके स से स भाग पर मेरे एवं द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। मैंने आरोपी के कब्जे से

जप्तशुदा शराब मे से 01 बोटल को परीक्षण हेतु सेम्पल पंचनामा प्र.पी. 05 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर मेरे एवं द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है।

03. विवेचना के दौरान मैने गवाह विनय मिश्रा एवं सिद्धार्थ फुले उर्फ चिन्टू का बयान लेखबद्ध किया था। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को गवाहों के समक्ष उसे गिरफ्तार पत्रक प्र.पी. 06 के मुताबिक विधिवत गिरफ्तार किया था जिसके स से स भाग पर मेरे एवं द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। मैंने गवाह सिद्धार्थ फुले उर्फ चिन्टू के समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र.पी. 08 तैयार किया था, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

04. थाना आकर थाने का अपराध क्रमांक 787/2022 धारा 34 (1)(क) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आरोपी राजकुमार चेलक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 11 दर्ज किया था, जिसके अ से अ तथा ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मैं आबकारी वृत्त डोंगरगढ़ को आरोपी के कब्जे से जप्तशुदा शराब का परीक्षण कर नतीजे से अवगत कराने बाबत् तहरीर लिखा था, जो प्र.पी. 12 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न रोजनामचा सान्हा प्र.पी. 13 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मैंने सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा</u> सुश्री नंदेश्वरी साहू **<u>अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u>**

05. यह कहना सही है कि जिन हमराह स्टॉफ को मैं मौके पर साथ जाना बता रहा हूँ, उनमें से किसी भी हमराह स्टॉफ का कथन दर्ज नहीं किया हूँ और न ही प्रकरण से संबंधित किसी भी दस्तावेजो पर उनका हस्ताक्षर लिया हूँ । यह कहना सही है कि घटना स्थल के आसपास के लोगो को गवाह नहीं बनाया हूँ । यह कहना सही है कि घटना स्थल खुला स्थान है जहां पर कोई भी आसानी से आ जा सकता हैं । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा उपरोक्त कोरे दस्तावेजो पर साक्षीयों को थाने बुलाकर हस्ताक्षर लिया गया है। यह कहना गलत है कि साक्षीयों ने मेरे को अपना बयान नहीं दिया था, उनका अपने मन से लेखबद्ध किया हूँ। यह कहना सही है कि जप्त शराब को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया हूँ।

06. यह कहना सही है कि धारा 91 की नोटिस में लिखी इबारत ब से ब के संबंध में पंचनामा नहीं बनाया हूँ । यह कहना गलत है कि साक्षीयो के बयान उनके बताये अनुसार न दर्ज कर अपने मन से दर्ज किया हूँ । यह कहना सहीं है कि प्रकरण का सम्पूर्ण विवेचना मेरे द्वारा की गई। यह कहना गलत है कि मैंने साक्षियों के समक्ष आरोपी से कोई शराब जप्त नहीं किया है। यह कहना गलत है कि आरोपी को

झुठे केश में फसाने के लिए झूठे मुखबीर सुचना पंचनामा तैयार किया हूं। यह कहना गलत है कि मैंने साक्षियों को मैंने कोई नोटिस नहीं दिया था। यह कहना गलत हैं कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला बनाया।

समाप्ति समयः– 01:45 तक

साक्षी को पढकर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

गवाह के हस्ताक्षर

सही/–
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव(छ.ग.)

सही/–
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव(छ.ग.)